झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं॰सं॰–8 / ज॰सं॰(नि॰)सु॰परि॰ 16 / 08:– /राँची दिनांकः– /

आदेश

श्री प्रभुशंकर उपाध्याय, तदेन कनीय अभियंता,बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार संप्रति कनीय अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध प्र0 सं0–02, चांडिल को विभागीय आदेश ज्ञापांक–5396 दिनांक–02.05.14 द्वारा संसूचित दंड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सम्यक समीक्षोपरांत निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

श्री प्रभुशंकर उपाध्याय, तदेन कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के द्वारा बरती गयी अनियमितताओं से संबंधित प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक 337 दिनांक 11.03.2003 के द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया:–

I) "निन्दन" जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 1999–2000 में की जाएगी।

II) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

III) रू॰ 5,69,591=00 की वसूली।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री उपाध्याय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.08.2013 से उक्त आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वादी के मामले में दण्ड देने के लिए मात्र औपचारिकता ही पूरी की गयी है इसलिए वादी को मामले के पुनर्विचार का हक है।

उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक–1058 दिनांक–16.10.2003 द्वारा दंडादेश को निरस्त कर दिया गया एवं विभागीय पत्रांक–1093 दिनांक–03.11.03 द्वारा पुनः पूर्व के आरोप पत्र के आधार पर ही 55 ए के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा उक्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए संसूचित दंड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। परंतु उक्त निर्णय संसूचित नहीं हो पाया क्योंकि श्री उपाध्याय, कनीय अभियंता की सेवा झारखंड राज्य को आवंटित हो गयी तथा उक्त मामले झारखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई।

3. झारखंड सरकार, जल संसाधन विभाग द्वारा पुनः संकल्प सं॰–819 दिनांक–03.03.2009 द्वारा श्री प्रभु शंकर उपाध्याय, तदेन कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के विरूद्ध घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय कार्यवाही (नियम 55 के तहत) प्रारंभ की गयी। उक्त के आलोक में जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई जिसके आलोक में श्री उपाध्याय को प्रस्तावित दण्ड 'सेवा से मुक्त' (Dismissal from service) का वृहद दंड देने के निमित्त द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

4. श्री उपाध्याय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री प्रभुशंकर उपाध्याय, तदेन कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार संप्रति कनीय अभियंता, सुवर्णरेखा बांध प्रमंडल सं0–2, चांडिल को निम्न दंड संसूचित किया गया:–

क) रू॰ 20,771 / – (बीस हजार सात सौ इकहत्तर रू॰) मात्र की वसूली।

ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक रोक।

5. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री प्रभुशंकर उपाध्याय द्वारा एक अपील अभ्यावेदन दिनांक–06.06.14 को प्राप्त हुआ। उक्त अपील की समीक्षा एवं अपील में उठाए गए बिन्दुओं पर विचार करते हुए श्री उपाध्याय को पूर्व के आदेश ज्ञापांक–5396 दिनांक–02.05.14 द्वारा संसूचित निम्न दंड को यथावत रखा जाता है:–

क) रू॰ 20,771/– (बीस हजार सात सौ इकहत्तर रू॰) मात्र की वसूली।

ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक रोक।

6. उपर्युक्त कंडिका 4 के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री/मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:–8/ज॰स॰(नि॰)सु॰परि॰–16/08:– 4096 /राँची दिनांक:– 17-09-14

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, रांची/महालेखाकार, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सरायकेला–खरसावाँ/संयुक्त सचिव(प्र0), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उपसचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रांची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/श्री प्रभुशंकर उपाध्याय, कनीय अभियंता, सुवर्णरेखा बांध प्रमंडल सं0 –2, चांडिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग।
16-9-14